अनुदान संख्या 3 - पशु पालन एवं डेरी विभाग
GRANT No. 3–DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	712,77,00		807,28,00	765,33,17	–41,94,83
पूरक	Supplementary	94,51,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					28,10,67
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	13,91,00		19,41,00	18,37,99	–1,03,01
पूरक	Supplementary	5,50,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					68,67

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (4194.83 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 9451.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 44 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.4194.83 lakhs) constituted 44 percent of the supplementary grants of Rs.9451.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	925.00	886.62	815.18	–71.44
पु.	R.	–38.38			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2403" पशु पालन	Major Head "2403" Animal Husbandry					
मू.	O.	14267.00				
पू.	S.	7.00		15969.51	15662.66	–306.85
पु.	R.	1695.51				
मुख्य शीर्ष "2404" डेरी विकास	Major Head "2404" Dairy Development					
मू.	O.	20316.00		20377.50	19584.95	–792.55
पु.	R.	61.50				
मुख्य शीर्ष "2405" मछली पालन	Major Head "2405" Fisheries					
मू.	O.	6513.00		5275.94	5042.56	–233.38
पु.	R.	–1237.06				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	5000.00				
पू.	S.	100.00		. .	. .	. .
पु.	R.	–5100.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	23631.00				
पू.	S.	9344.00		34980.19	35000.25	+20.06
पु.	R.	2005.19				

(I) 6761.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 6570.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजना/स्कीमों के लिए प्रावधान''- 5000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 5100.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, समस्त प्रावधान (पूरक अनुदान सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष निधियां व्यपगत न होने वाले पूल को अभ्यर्पित किए जाने के कारण आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गया।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601''-

(क) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पशु पालन - पशु और भैंस विकास - पशुधन के बीमे के लिए राज्यों को सहायता''- 900.00 लाख रु. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने की वजह से स्कीम देर से लागू किए जाने के कारण पूरक अनुदान के रूप में प्राप्त किए गए।

(ख) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - डेरी विकास - डेरी विकास परियोजनाएं - डेरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि''- 570.00 लाख रु. निधियां गलत शीर्ष के अंतर्गत रखे जाने की वजह से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को निधियां जारी न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''पशु पालन - चारा और चरागाह विकास - चरागाह और चारा उत्पादन विकास कार्यक्रम''- 400.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1400.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो संशोधित अनुमान चरण पर निधि में कमी कर दिए जाने के कारण 485.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.6761.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.6570.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" – "Other Expenditure– Provision for Project/Schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim" – the original provision of Rs.5000.00 lakhs was augmented to Rs.5100.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs. However, entire provision (including supplementary grant) was utilised partly by re-appropriation of funds to functional heads for meeting expenditure on projects/schemes in North Eastern Region and surrender of remaining funds to non-lapsable pool.

(B) Major Head "3601" –

(a) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Animal Husbandry – Cattle and Buffalo Development – Assistance to States for Livestock Insurance" – Rs.900.00 lakhs obtained as supplementary grant – due to late introduction of scheme owing to non-approval by competent authority.

(b) "Grants for Central Plan Schemes – Dairy Development –Dairy Development Projects – Dairy/Poultry Venture Capital Fund" – Rs. 570.00 lakhs – due to non-release of funds to National Agricultural Bank for Rural Development owing to wrong parking of funds.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes"– remained unutilised to the extent shown against each:-

(A) "Animal Husbandry – Feed and Fodder Development – Feed and Fodder Production Enhancement Programme" – the original provision of Rs.400.00 lakhs was augmented to Rs.1400.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1000.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of Rs.485.00 lakhs - due to reduction of fund in revised estimates stage.

(खा) ''डेरी विकास - डेरी विकास परियोजनाएं''-

(क) ''गैर-प्रचालन बाढ़ पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेरी विकास परियोजनाएं''- 1660.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2150.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3810.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो निधियां जारी किए जाने के लिए पर्याप्त/स्पष्ट प्रस्तावों के प्राप्त न होने और साथ ही संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी कर दिए जाने के कारण 1250.82 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''गुणवत्ता वाले और स्वच्छ दूध के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण''- 742.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3742.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो राज्य सरकार से कम मांग किए जाने और स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण 1277.77 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - पशु पालन और डेरी विभाग'' के अंतर्गत 109.82 लाख रु. की बचत (925.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2403'' - ''पशु और भैंस विकास - केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म'' के अंतर्गत 218.50 लाख रु. की बचत (1510.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2404'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''डेरी विकास परियोजनाएं - सहकारिताओं को सहायता के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सहायता अनुदान''- 268.50 लाख रु. की बचत (1250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कम मांग किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''दिल्ली दुग्ध योजना - अधिप्राप्ति''- 643.10 लाख रु. की बचत (15171.95 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

(B) "Dairy Development – Dairy Development Projects" –

(a) "Integrated Dairy Development Projects in Non-operation Flood Hilly and Backward Areas" – the original provision of Rs.1660.00 lakhs was augmented to Rs.3810.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2150.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1250.82 lakhs – due to non-receipt of sufficient/clear proposals for release of funds and also due to reduction at revised estimates stage.

(b) "Strengthening Infrastructure for Quality & Clean Milk" - the original provision of Rs.742.00 lakhs was augmented to Rs.3742.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3000.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1277.77 lakhs – due to less demand from State Government and late approval of the scheme.

(III) Under Major Head "3451" – "Secretariat– Department of Animal Husbandry and Dairying"– saving of Rs.109.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.925.00 lakhs) was due to austerity measures.

(IV) Under Major Head "2403" - "Cattle and Buffalo Development – Central Cattle Breeding Farms" – saving of Rs.218.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1510.00 lakhs) was due to slow progress of work by the Central Public Works Department.

(V) Under Major Head "2404" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Dairy Development Projects – Grants-in-aid to N.D.D.B. for Assistance to Cooperative " –saving of Rs.268.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1250.00 lakhs) was due to less demand by implementing agencies.

(B) "Delhi Milk Scheme – Procurement" – saving of Rs.643.10 lakhs (against the sanctioned

तुलना में) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा कम प्राप्त किए जाने के कारण हुई, व्यय को दिल्ली दुग्ध योजना की कुल प्राप्ति तक सीमित कर दिया गया था।

provision of Rs.15171.95 lakhs) was due to less receipt by DMS, the expenditure was restricted to the tune of overall receipt of DMS.

(VI) मुख्य शीर्ष ''2405'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head "2405" – savings occurred under the following heads:–

(का) ''समुद्री मछली पालन''-

(A) "Marine Fisheries" -

(क) ''भारतीय मछली पालन सर्वेक्षण''- 546.33 लाख रु. की बचत (3385.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मछली पकड़ने वाले पोतों को शुष्क गोदी में खड़े करने पर कम व्यय होने और किफायत के लिए कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''तट से दूर मछली पालन''- 374.92 लाख रु. की बचत (1175.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कुछ कार्यालय उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Fishery Survey of India" – saving of Rs.546.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3385.00 lakhs) was due to less expenditure on dry docking of fishing vessels and economic cut.

(b) "Off-shore Fisheries" – saving of Rs.374.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1175.00 lakhs) was due to non-filling of vacant posts, non-procurement of certain office equipments.

(खा) ''अन्य व्यय - डाटाबेस और सूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण''- 485.07 लाख रु. की बचत (675.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई स्कीम के लिए विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure – Strengthening of Database and Information Networking" – saving of Rs.485.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.675.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from different implementing agencies for the new scheme.

(VII) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - मछली पालन - नदीमुख/खारे पानी में मछली पालन - डाटाबेस और सूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत 346.61 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों के लिए संबंधित राज्यों द्वारा योजना पदों का सृजन न किए जाने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Fisheries – Esturine/ Brackish Water Fisheries – Strengthening of Database & Information Networking" – saving of Rs.346.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to non-creation of plan posts by the concerned states for the schemes.

(VIII) पांच शीर्षों के अंतर्गत 373.80 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत से 78 प्रतिशत तक थी।

(VIII) Under five heads saving of Rs.373.80 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 16 percent to 78 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1766.99 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2403'' - ''पशु और भैंस विकास - पशु और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1726.75 लाख रु. था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.1766.99 lakhs) utilised for augumenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "2403" – "Cattle and Buffalo Development – National Project for Cattle and Buffalo Breeding". Actual excess, however, was Rs.1726.75 lakhs.

(II) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2404'' - ''दिल्ली दुग्ध योजना - संसाधन''- 220.03 लाख रु. का अधिक व्यय (1852.38 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दूध, कच्चे दूध आदि की खरीद पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601''-

(क) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(i) ''पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - केंद्रीय रोग नैदानिक रैफरल प्रयोगशालाएं''- 350.00 लाख रु. का अधिक व्यय (125.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न नैदानिक प्रयोगाशालाओं को अधिक निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''पशु पालन - चरागाह और चारा विकास - चरागाह और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता''- 275.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(i) ''पशु पालन - पशु और भैंस विकास''-

(1) ''मुख्य पशुधन उत्पाद के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण''- 112.39 लाख रु. का अधिक व्यय (640.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(2) ''पशुधन की गणना करने के लिए राज्यों को सहायता''- 371.62 लाख रु. का अधिक व्यय (995.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 6529.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र को निधियां जारी किए जाने के लिए

(II) The above savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2404" – "Delhi Milk Scheme– Processing" – excess of Rs.220.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1852.38 lakhs) was due to more expenditure on purchase of milk, raw milk, etc.

(B) Major Head "3601" –

(a) "Grants for Central Plan Schemes" –

(i) "Animal Husbandry - Veterinary Services and Animal Health – Central Disease Diagnostic Referral Laboratories" – excess of Rs.350.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.125.00 lakhs) was due to release of more funds to different Diagnostic Laboratories.

(ii) "Animal Husbandry - Feed and Fodder Development - Assistance to States for Feed and Fodder Development" - excess of Rs.275.00 lakhs (against nil provision) was due to release of funds to North Eastern States for implementation of schemes.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(i) "Animal Husbandry – Cattle and Buffalo Development" –

(1) "Integrated Sample Survey on Estimation of Production of Major Livestock Product" – excess of Rs.112.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.640.00 lakhs); and

(2) "Assistance to States in conduct of Livestock Census" – excess of Rs.371.62 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.6529.00 lakhs including supplementary grant of Rs.995.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head

निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष " 2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(3) "पशु और भैंस के प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना''- 143.96 लाख रु. का अधिक व्यय (50.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पशु और भैंस के प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना लागू किए जाने के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य''-

(1) "पशुप्लेग उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना''- 112.50 लाख रु. का अधिक व्यय (425.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पशुप्लेग उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता अनुदान जारी किए जाने के कारण हुआ।

(2) "पशु रोग नियंत्रण''- 1747.41 लाख रु. का अधिक व्यय (3620.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्य सरकारों को जारी किए जाने संबंधी स्कीम के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iii) "पशु पालन - भेड़ और ऊन का विकास - लुप्तप्राय पशु नस्लों का संरक्षण''- 377.68 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों की मांग पूरी किए जाने के कारण हुआ।

(iv) "स्वच्छ मांस के लिए वर्तमान बूचड़खानें और मांस इकाइयों/सीयूसी का सुधार - स्वच्छ मांस के लिए वर्तमान बूचड़खानें और मांस इकाइयों/सीयूसी का सुधार''- 115.02 लाख रु. का अधिक व्यय (1299.00 लाख रु. के पूरक अनुदान की तुलना में) अरुणाचल प्रदेश की सरकार को निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(v) "कुक्कुट विकास - कुक्कुट विकास के लिए सहायता''- 1025.05 लाख रु. का अधिक व्यय (432.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

"2552" to the functional heads for release of funds to North Eastern Region including Sikkim.

(3) "National Project for Cattle and Buffalo Breeding" – excess of Rs.143.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50.00 lakhs) was due to release of funds to State Governments for implementation of National Project for Cattle and Buffalo Breeding.

(ii) "Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health" -

(1) "National Project on Rinderpest Eradication" - excess of Rs.112.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.425.00 lakhs) was due to release of Grants-in-aid to North Eastern States under National Project on Rinderpest Eradication.

(2) "Animal Disease Control" - excess of Rs.1747.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3620.00 lakhs) was due to requirements of more funds for the scheme for release to different State Governments.

(iii) "Animal Husbandry - Sheep and Wool Development – Conservation of Threatened Livestock Breeds" - excess of Rs.377.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs) was due to meeting of demand of North Eastern States under North Eastern Region under the scheme.

(iv) "Improvement of existing Abbatoirs and Meat Units/CUC for Hygeince Meat – Improvement of existing Abbatoirs and Meat Units/CUC for Hygeince Meat" - excess of Rs.115.02 lakhs (against the supplementary grant of Rs.1299.00 lakhs) was due to release of funds to Government of Arunachal Pradesh.

(v) "Poultry Development – Assistance for Poultry Development" - excess of Rs.1025.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.432.00 lakhs); and

(vi) ''मछली पालन - अंतर्देशीय मछली पालन - अंतर्देशीय जलसंवर्धन और मछली पालन का विकास''- 166.90 लाख रु. का अधिक व्यय (1945.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र को निधियां जारी करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(vii) ''मछली पालन - समुद्री मछली पालन''-

(1) ''समुद्री मछली पालन अवसंरचना और पोस्ट हारवेस्ट का विकास''- 1000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(2) ''मछुआरों का राष्ट्रीय कल्याण''- 400.67 लाख रु. का अधिक व्यय (1700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(3) ''मुख्य और लघु पत्तनें पर मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह सुविधाएं''- 549.00 लाख रु. का अधिक व्यय (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय संबंधित स्कीमों में निधियों की अधिक मांग होने के कारण हुआ।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत 304.88 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 119 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(vi) "Fisheries - Inland Fisheries – Development of Inland Aquaculture and Fisheries" - excess of Rs.166.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1945.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for release of funds to North Eastern Region including Sikkim.

(vii) "Fisheries - Marine Fisheries" –

(1) "Development of Marine Fisheries Infrastructure and post harvest" - excess of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2600.00 lakhs);

(2) "National Welfare of Fishermen" - excess of Rs.400.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1700.00 lakhs); and

(3) "Fishing Harbour Facilities at Major and Minor Ports" – excess of Rs.549.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to more demands of funds in the schemes concerned.

(III) Under four heads excess of Rs.304.88 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 119 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4404'' डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4404" Capital Outlay on Dairy Development				
मू.	O.	100.00	350.00	348.32	–1.68
पु.	R.	250.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "4405" मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4405" Capital Outlay on Fisheries					
मू.	O.	1291.00				
पू.	S.	550.00		1522.33	1489.67	–32.66
पु.	R.	–318.67				

(I) 35.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4405" - "समुद्री मछली पालन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) "समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पालन"- 1056.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 550.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1606.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो वित्त मंत्रालय द्वारा किफायत के लिए कटौती लागू किए जाने के कारण 199.48 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) "भारतीय मछली पालन सर्वेक्षण"- 116.85 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति किए जाने और मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद में किफायत बरते जाने के कारण हुई।

(III) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4404" - "दिल्ली दुग्ध योजना - पूर्वनिर्मित दुग्ध केंद्रों का निर्माण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 248.32 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली दुग्ध योजना संयंत्र के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अतिरिक्त मांग किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of Rs.35.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) Under Major Head "4405" – "Marine Fisheries" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Marine Fisheries – Deep Sea Fisheries"– the original provision of Rs.1056.00 lakhs was augmented to Rs.1606.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.550.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of Rs.199.48 lakhs – due to economic cut imposed by the Ministry of Finance.

(B) "Fishery Survey of India" – saving of Rs.116.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to slow progress of work by Central Public Works Department and economy in purchase of Machinery and Equipments.

(III) The above savings were partly offset by excess under Major Head "4404" – "Delhi Milk Scheme – Construction of Prefabricated Milk Booths" – excess of Rs.248.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs) was due to additional demand of Delhi Milk Scheme for modernisation/upgradation of Delhi Milk Scheme plant.